रजिस्ट्री सं. डी (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 361] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 28, 1990/आषाढ़ 7, 1912
No. 361] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 28, 1990/ASADHA 7, 1912

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जून, 1990

का. आ. 518 (अ):—गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, पणजी, जो एक बहु-राज्य सहकारी सोसायटी है और जिसे बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 के अधीन रजिस्ट्रीकृत माना गया है, गोवा राज्य और दमण और दीव संघराज्य क्षेत्र के लिए

एक शीर्षस्थ सहकारी बैंक है और जो कृषि और आवास दोनों क्षेत्रों के लिए सहकारी सोसायटियों के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक उधारों का वित्त पोषण करता है और दिए गए दीर्घकालिक उधार पूर्वोक्त बैंक की उप-विधियों के अनुसार 10 से 15 वर्षों की अवधि के लिए होते हैं ;

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार, सम्पत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन तथा डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन) नियम, 1985 के नियम 10 का उपनियम (3) यह अनुबंधित करता है कि किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी द्वारा जारी किए गए उधार के प्रतिसंदाय की अवधि वह होगी जो उप-विधियों में उपबंधित की जाए किंतु किसी भी दशा में पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ;

10 से 15 वर्षों की अवधि के लिए दीर्घ कालिक उधारों हेतु वित्तपोषण पूर्वोक्त नियमों के नियम 10 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार नहीं है इसलिए गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड ने दीर्घकालिक उधारों का अधिशिष्ट वित्तपोषण सुकर बनाने के लिए नियम 10 के उक्त उपनियम (3) से छूट मांगी है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की धारा 99 की उपधारा (2) (क) (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गोवा राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड पणजी को, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (विशेषाधिकार सम्पत्ति और निधियां, लेखा, लेखा परीक्षा, परिसमापन तथा डिक्रियों, आदेशों और विनिश्चयों का निष्पादन (नियम, 1985 के नियम 10 के उपनियम (3) के उपबंधों से छूट देती है ।

[सं. एल-11012/3/90-एल एंड एम]

संगीता सेरोला, उप सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1990

S.O. 518(E).—Whereas the Goa State Cooperative Bank Limited, Panaji, a multi-State co-operative society deemed to be registered under the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984, is an apex co-operative bank for the State of Goa and the Union Territory of Daman and Diu and is financing short-term, medium-term and long-term loans for co-operative societies both for agricultural and housing sectors and the long-tem loans advanced range for a period of 10 to 15 years, as per bye-laws of the aforesaid Bank;

Whereas sub-rule (3) of rule 10 of the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, orders and Decisions) Rules, 1985 stipulation that the period of repayment of the loan is ued by a multi-State co-operative society shall be as may be provided in the bye-laws, but in no case exceeding five years;

Whereas the financing of long-term loans ranging for a period of 10 to 15 years, being not in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 10 of the aforesaid Rules, the Goa State Co-operative Bank Limited has sought exemption from the said sub-rule (3) of rule 10 to facilitate uninterrupted financing of long-term loans:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) (a)-(i) of section 99 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984) the Central Government hereby exempts the Goa State Co-operative Bank Limited, Panaji, from the provisions of sub-rule (3) of rule 10 of the Multi-State Co-operative Societies (Privileges, Properties and Funds, Accounts, Audit, Winding up and Execution of Decrees, Orders and Decisions) Rules, 1985.

[No. L-1|1012|3|90-L&M]

SANGITA GAIROLA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110051, 1990.